



IRRAD®

इन्स्टीट्यूट ऑफ रसरल रिसर्च एण्ड इवलपमेन्ट
(एस.एम.सहगल फाउंडेशन का प्रयास)

Size : 5½ x 8½

प्रस्तावना

किसी भी देश की उन्नति व विकास का आधार शिक्षा है। अनपढ़ता देश व समाज के लिए कलंक व अभिशाप होती है क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति का नैतिक, मानसिक व शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता जिसके अभाव में वह अंधविश्वास व ख़़़फ़़द़िवादिता जैसी कुरीतियों में फंसता चला जाता है और लोग उसे मूर्ख समझकर ठगते हैं और उसका शोषण करते हैं।

“निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून” हमारे देश के बच्चों के लिए एक बेशकीयती उपहार है। यह कानून भारत सरकार का एक ऐताहासिक कदम है। इस कानून के तहत 6 से 14 आयु समूह के बच्चों को गुणों से युक्त मौलिक शिक्षा अनिवार्य रूप से, पूर्णतया मुफ़्त मुहैया कारवाई जाएगी। अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा क्योंकि सब बच्चों को पढ़ाना अब कानून में ज़रूरी कर दिया गया है। इसलिए अब सब का पढ़ना पक्का! सब पढ़ें, सब बढ़ें।

इस कानून की एक ख़़ास बात यह है कि यह बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के लोगों व स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी सौंपता है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा न मिले तो इस बात का सबसे ज्यादा अहसास व दर्द उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ही होता है। इसी तथ्य के मद्देनजर इस कानून की धारा 21 के तहत सभी सरकारी स्कूलों व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति / School Management Committee (SMC) बनाना अनिवार्य है। इस कमेटी की कार्यकारिणी में तीन हिस्से सदस्य (75 प्रतिशत) स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता होंगे।



एक और ख़ास बात, इन सदस्यों में से आधी महिलाएँ होंगी तथा इस कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी इन्हीं अभिभावकों में से होंगे। यह समिति न केवल स्कूल के विकास की योजना बनाएगी बल्कि स्कूल से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करेगी।

इस पुस्तिका में हरियाणा के स्कूल प्रबंधन कमेटी से संबंधित कानून-कायदों की जानकारी सरल भाषा में दी गई है। हमारा विश्वास है कि इससे कमेटी में शामिल अभिभावकों व हमारे समाज में शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता रखने वाले हर इंसान को शिक्षा के अधिकार कानून व कमेटी से संबंधित नियमों की जानकारी हो सकेगी। इस जानकारी को जुटाने में शिक्षा विभाग से सम्बंधित अध्यापकों व अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम श्री प्रमोद कुमार, आर.टी.ई. संयोजक, हरियाणा शिक्षा विभाग, एवं श्री जीतेन्द्र कुमार जैन, ए.बी.आर.सी. नगीना के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तिका को बनाने में विशेष राय दी हैं। इराद की क्षेत्रीय टीम ने इस पांडुलिपि पर आधुनिकतम जानकारी जुटाई। हम इन सभी के आभारी हैं। उम्मीद है कि यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय को अपना योगदान देने में सहायक सिद्ध होगा।

क्षमता निमार्ण केन्द्र

इन्स्टीट्यूट ऑफ सरल रिसर्च एण्ड इवलेपमेन्ट (इराद)



विषय-सूची

| | | |
|--------|--|----------|
| खंड 1 | बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम व स्कूल प्रबंधन समिति की मुख्य बातें | पृष्ठ 1 |
| खंड 2 | निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम विधेयक, 2009, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? | पृष्ठ 3 |
| खंड 3 | बाल शिक्षा अधिनियम की कुछ खास बातें स्कूल प्रबंधन समिति, आम सभा (नागरिक सभा), कार्यकारिणी, स्कूल प्रबंधन समिति का गठन, सदस्यों के लिए शपथ पत्र, भवन निर्माण समिति | पृष्ठ 7 |
| खंड 4 | स्कूल प्रबन्धन समिति कार्यकारिणी की मुख्य बातें, समिति का संचालन-स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक, कोरम, प्रस्ताव, समिति का हिसाब-किताब | पृष्ठ 14 |
| खंड 5 | स्कूल प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य | पृष्ठ 18 |
| खंड 6 | शिकायतें | पृष्ठ 21 |
| खंड 7 | स्कूल विकास योजना बनाना | पृष्ठ 22 |
| खंड 8 | स्थानीय प्राधिकरण का फर्ज़ | पृष्ठ 25 |
| खंड 9 | सरकार की मुख्य योजनाएं | पृष्ठ 26 |
| खंड 10 | शिक्षा-सेतु | पृष्ठ 32 |
| खंड 11 | महत्वपूर्ण वेबसाइटें | पृष्ठ 33 |

खंड 1

शिक्षा बनाती चतुर सुजान, बिन शिक्षा नर पशु समान

आर.टी.ई. (यानि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009)


2010 से सारे देश में लागू बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का मतलब है 6 से 14 साल के बच्चों को अब अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा मिलेगी।

बच्चों के लिए खुश होने का वक्त है क्योंकि अब स्कूल में कोई भी अध्यापक बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता या किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक सज़ा नहीं दे सकता।

- अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर है या उसके माता-पिता बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो गांव का कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत स्थानीय संस्था को कर सकता है
- नये कानून के तहत बच्चों को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी उन्हें स्कूल जाने से रोकेगा या शिक्षा पाने से रोकेगा उसे सज़ा हो सकती है

बच्चों के लिए एक और मजेदार बात:

अब 8वीं कक्षा तक कोई भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी।



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल प्रबंधन समिति /

School Management Committee (SMC)

आर.टी.ई. यानि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में पढ़नेवाले बच्चों के माता-पिता खासकर माताओं व स्कूल में अध्यापकों से मिलकर एक स्कूल प्रबंधन समिति (कमेटी) बनाई जाएगी। यह कमेटी स्कूल के सभी मामलों के लिए ज़िम्मेवार होगी। हमारे सब बच्चे पढ़े, उन सभी को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के माता-पिता स्कूल को ठीक से चलाने के लिए व स्कूल के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लें।

- इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर स्कूल के विकास व स्कूल को सही ढंग से चलाने के लिए तथा बच्चों की उचित शिक्षा के लिए योजना बनाएंगे
- इस कमेटी के कुछ कर्तव्य व अधिकार होंगे
- स्कूल प्रबंधन कमेटी मिड-डे-मील सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेगी
- कमेटी इस बात की निगरानी करेगी कि समाज के हर वर्ग के बच्चों का पंजीकरण स्कूल में हो व बच्चे लगातार स्कूल में पढ़ने आयें, बच्चों का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न न हो
- यह कमेटी स्कूल को एक अच्छा व आदर्श स्कूल बनाने का हर प्रयत्न करेगी



कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि स्कूल के सारे अध्यापक समय पर स्कूल पहुंचे, स्कूल में तैनात अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए व हर बच्चे को उसकी क्लास के पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाया जाए

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 2

जहाँ कहीं भी लोकतंत्र हैं, शिक्षा उसका मूलमंत्र है



क्या है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम?

हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार की पूर्ति के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम

विधेयक, 2009 लागू किया गया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को उसकी पहुँच के भीतर निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:



1. 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके घर के नज़दीक ही के स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा मिलेगी
2. बच्चों को स्कूल के वार्षिक सत्र के दौरान कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अर्थात् 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 8 तक बिना पैसा खर्च किए शिक्षा उपलब्ध होगी
3. कभी भी स्कूल न गए या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा 8 वर्ष का है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा और 9 वर्ष का है तो कक्षा 4 और 14 वर्ष का है तो कक्षा 8 में
4. यदि किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उस बच्चे को 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा

5. अगर एक स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो उस हालात में बच्चे को किसी अन्य नज़दीक के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानान्तरित होने का अधिकार होगा
6. यदि किसी बच्चे को किसी कारण से राज्य के बाहर अन्य स्कूल में जाना पड़े तो उसे वहां के स्कूल में प्रवेश का अधिकार होगा
7. अन्य स्कूल में प्रवेश चाहने वाले छात्र को पूर्व के स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा तुरंत स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा
8. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण बच्चे को प्रवेश देने में विलम्ब नहीं किया जाएगा और न ही उसे प्रवेश देने से मना किया जाएगा
9. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों तथा स्कूल के अध्यापकों से मिलकर एक “स्कूल प्रबंधन समिति” का गठन किया जाएगा। यह समिति स्कूल की रोज़मर्रा की गतिविधियां सुनिश्चित करेगी जैसे स्कूल का प्रतिदिन समय पर खुलना व बंद होना, बच्चों की उचित पढ़ाई होना व बच्चों का उनकी उम्र व क्लास के अनुसार सीखना, तथा यह समिति दोपहर का भोजन ठीक तरह से बनने, पढ़ाई की सामग्री व वर्दी समय पर मिलने पर नज़र रखेगी। यह समिति हर महीने एक बार बैठक करेगी जिसमें स्कूल की समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें सुलझाने में स्कूल प्रशासन की मदद करेगी



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का क्या मतलब है?

निःशुल्क (मुफ्त) शिक्षा

👉 8वीं क्लास तक के बच्चों से पढ़ाई के बदले कोई फीस नहीं ली जायेगी

👉 निःशुल्क शिक्षा का अर्थ यह भी है कि बच्चों के अभिभावकों पर उन खर्चों का भी बोझ नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मसलन अब बच्चों की वर्दी, किताबें, कॉपी, पेन, पेन्सिल व दोपहर का भोजन जैसे सब खर्चे सरकार वहन करेगी जिनके अभाव में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे

अनिवार्य शिक्षा का मतलब

👉 बच्चों को 8वीं कक्षा तक स्कूल जाने व पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे का स्कूल नहीं जाना एक जुर्म है तथा अब हर माँ-बाप को अपने बच्चों को चाहे वह लड़का हो या लड़की स्कूल भेजना ही होगा

👉 स्कूल को इन बच्चों को पढ़ाना ही होगा

👉 हर एक बच्चे को 8वीं क्लास पास करनी या करवानी ही होगी

👉 अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा

👉 माता-पिता का यह कर्तव्य है कि इस उम्र के बच्चे को ज़रूर-ज़रूर स्कूल भेजें

👉 एक बच्चे को आठवीं क्लास तक पढ़ाई पूरी करवाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

बाल शिक्षा अधिनियम की कुछ खास बातें

- स्कूल में एक बार प्रवेश लेने के बाद किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा
- किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा अर्थात् बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा व किसी भी बच्चे को अभद्र शब्दों से संबोधित नहीं किया जाएगा
- प्राथमिक शिक्षा अर्थात् 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी होने तक बच्चों की बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी
- बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए हैं। किसी भी स्कूल या गांव में किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आयोगों में शिकायत की जा सकती है



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 3

एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर है




स्कूल प्रबंधन समिति

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त हर स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है। इस समिति का विस्तारित व्योरा इस प्रकार है:

स्कूल प्रबंधन समिति के दो अंग होते हैं:

- स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा (नागरिक सभा)
- स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा (नागरिक सभा)

सदस्यः

स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता-पिता व
अभिभावक
तथा ग्राम-पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि

सचिवः स्कूल के मुख्य अध्यापक

अध्यक्षः स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी का अध्यक्ष ही आम सभा का अध्यक्ष होता है

नागरिक सभा की एक वर्ष में तीन बैठकें 15 अगस्त, 26 जनवरी व मार्च में होंगी। बैठक में कुल सदस्यों का 50% या कम से कम 100 सदस्य जरूर उपस्थित होने चाहिए

नागरिक सभा स्कूल का वार्षिक बजट अनुमोदित करेगी तथा पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा करेगी

स्कूल की आय से ज्यादा खर्च होने पर गांव की आम जनता या दानदाताओं से पैसा उगाहेगी



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी

स्कूल का मुखिया स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी के गठन का जिम्मेवार होगा।

सदस्यः

स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव नागरिक समिति (आम सभा) द्वारा किया जाएगा। इस समिति के सदस्यों की संख्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है।

| समिति के कुल सदस्यों की संख्या: | कुल सदस्य |
|---------------------------------|-----------|
| छात्र संख्या 300 तक | 12 |
| छात्र संख्या 500 तक | 16 |
| छात्र संख्या 500 से अधिक | 20 |

75% सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता व संरक्षक होते हैं।

25% सदस्य (ये सदस्य पदेन सदस्य कहलाते हैं) निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

- स्कूल के अध्यापकों में से चुने प्रतिनिधि एक तिहाई
- स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, व स्थानीय शिक्षा शास्त्री जिनका अनुमोदन माता/पिता/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा एक तिहाई
- ग्राम-पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधि एक तिहाई

अध्यक्ष: समिति के अध्यक्ष पद के लिए कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।

सचिव: विद्यालय का मुख्य समिति का सचिव होगा।

समिति के उपरोक्त सदस्यों के अलावा स्कूल का मुख्य

अध्यापक (सचिव) भी इस समिति का सदस्य होगा

स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी की एक खास बात यह है कि इस समिति के कुल सदस्यों में 50% (आधी संख्या) महिलाएँ होती हैं।

दो और खास बातें:

- असुविधा ग्रस्त समूह व दुर्बल वर्ग (अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग) के बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों को स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य अपने चुनाव के बाद शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

आम सभा का मुख्य दायित्व
स्कूल प्रबंधन समिति की
कार्यकारिणी का चुनाव तथा
इसके कार्यों का अनुमोदन
करना है



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

शपथ पत्र

मैं
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी

स्कूल प्रबंधन समिति (स्कूल का नाम)

के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ लेता/लेती हूँ कि

मैं स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में

निर्धारित दायित्व एवं कर्तव्यों का स्कूल एवं छात्र-हित में

पालन करूँगा/करूँगी

तथा राज्य-सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं अन्य

कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार उपस्थित होकर सभी

कार्यक्रमों में भाग लूँगा/लूँगी।

हस्ताक्षर
कार्यकारिणी सदस्य

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल प्रबंधन समिति का गठन:

आम सभा (नागरिक सभा) द्वारा निर्वाचित सदस्यः

कार्यकारिणी के लिए 9 सदस्यों का चुनाव जिसमें आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। इन महिलाओं में से दो अनुसूचित जाति व एक पिछड़ी जाति से अवश्य संबंधित होनी चाहिए।

आम सभा द्वारा मनोनित

सदस्यः

एक ऐसे सदस्य को मनोनित करना जो स्थानीय शिक्षाविद हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो



9 निर्वाचित सदस्यों द्वारा:
निर्वाचित सदस्यों में से एक
अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का
चुनाव

ग्राम-पंचायत द्वारा:

एक पदेन सदस्यः ग्राम-पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्यों में से

स्कूल के अध्यापकों द्वारा:

एक पदेन सदस्यः समस्त अध्यापकों में से एक महिला या पुरुष सचिवः पदेन सदस्यः स्कूल के मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका के न होने पर वरिष्ठतम् अध्यापक

हरियाणा के स्कूलों में 24 मार्च 2013 के दिन¹
“स्कूल प्रबंधन समितियों”

का गठन कर लिया गया है। इन समितियों का
कार्यकाल मार्च 2015 तक होगा

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल भवन निर्माण समिति (School Building Construction Committee-SBCC)

स्कूल भवन निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों को करवाने की ज़िम्मेवारी स्कूल भवन निर्माण समिति की होती है।

गठन:

पांच सदस्यः

अध्यक्षः स्कूल प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष

सचिवः स्कूल का मुखिया

अन्य तीन सदस्यों का चुनाव स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है।

भवन निर्माण में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हो सकते हैं:

1. पीने के पानी की टंकी
2. एक या दो अतिरिक्त कमरे
3. मुख्याध्यापक कक्ष
4. शौचालयों का निर्माण
5. स्कूल भवन की मरम्मत



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 4

शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण
उसकी गोद में पलते हैं



स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी की मुख्य बातें

समिति का पुनर्गठन हर दो साल में किया जाएगा

स्कूल का मुख्याध्यापक या जहां मुख्याध्यापक नहीं है वहां
स्कूल का वरिष्ठ अध्यापक प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य या
संयोजक होगा


यह स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी 9 सदस्यों में से अध्यक्ष
व उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष अथवा तब तक रहेगा।
जब तक कि वह स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य है

इस समिति के सदस्यों में से हर साल वे माता-पिता व संरक्षक
अपने आप हट जाएँगे जिनके बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं

राज्य के प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहाँ
कक्षा 1 से 8 है स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।
एक ही परिसर में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित
होने की हालत में भी स्कूल प्रबंधन समिति अलग-अलग गठित
होगी

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम



स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक

1. समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी
2. अगर ज़रूरत पड़े तो समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है
3. समिति का संयोजक बैठक के कम से कम चार दिन पहले बैठक की लिखित सूचना व बैठक में विचार किए जाने वाले मुद्दों की सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाएगा
4. इस बैठक में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिए जा सकते हैं
5. संयोजक द्वारा बैठक की कार्यवाही का लेखा-जोखा रखा जाएगा यह लेखा-जोखा आम जनता के देखने के लिए उपलब्ध रहेगा

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

कोरम

समिति के पदेन सदस्यों (25%) में से कम से कम एक व शेष अन्य सदस्यों (75%) में से कम से कम एक तिहाई से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

प्रस्ताव पास करना

कोई भी प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सदस्यों में से $2/3$ सदस्यों के बहुमत से पास किया जा सकता है।


समिति का कोष

स्कूल प्रबंधन समिति को निम्नलिखित स्रोतों से धन राशि प्राप्त होगी:

1. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि
2. किसी भी व्यक्ति/संस्था से स्कूल के विकास के लिए प्राप्त सहायता या दान के रूप में प्राप्त राशि

समिति का बैंक खाता

समिति का बैंक में अलग से “स्कूल प्रबंधन समिति” के नाम से खाता होगा। खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खुलवाया जाएगा। इस खाते में लेन-देन अध्यक्ष व संयोजक (सचिव) के संयुक्त हस्ताक्षर से संभव होगा। स्कूल सम्बंधित किसी भी स्रोत से प्राप्त धन-राशि को पहले समिति के बैंक खाते में जमा करवाने के बाद ही इस राशि को खर्च किया जा सकता है।



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

समिति का हिसाब-किताब

स्कूल प्रबंधन समिति के सभी रिकॉर्ड समुचित रूप से रखना सचिव (मुख्याध्यापक) की जिम्मेवारी है। समिति के सभी दस्तावेजों में कार्यवाही रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखी जाती है। इस रजिस्टर का प्रारूप इस प्रकार है:

1. सबसे पहले पेज पर यह लिखा जाना चाहिए कि “प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यवाही रजिस्टर में (पृष्ठों की संख्या) पृष्ठ हैं”
2. रजिस्टर के हर पृष्ठ पर पेज संख्या लिखी होनी चाहिए
3. बैठक की कार्यवाही लिखते समय सबसे पहले उपस्थित सदस्यों के नाम लिखे जाने चाहिए। सदस्य के नाम के आगे यह भी लिखा जाना चाहिए कि उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है
4. उसके बाद बैठक में चर्चा किए गए विषयों को बिन्दुवार लिखा जाना चाहिए
5. लिखित कार्यवाही के नीचे अध्यक्ष के हस्ताक्षर मोहर सहित होने चाहिए



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 5

जो व्यक्ति पैसे के लिए शिक्षण कार्य करता है, वह सत्य से द्रोह करता है। शिक्षा धर्म का अविभाज्य अंग है और न धर्म को खरीदा या बेचा जा सकता है न शिक्षा को



स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य

- गांव समुदाय में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना
- स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों के स्कूल में पंजीकरण के लिए अभियान चलाना व 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल में पंजीकरण सुनिश्चित करना
- स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति पर नियंत्रण रखना। यह देखना कि किसी भी समय स्कूल के लिए स्वीकृत अध्यापकों के पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त न हों। अधिक रिक्त पद होने पर अध्यापकों की मांग करना
- स्कूल में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का परीक्षण करना
- गांव में स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के माता/पिता व संरक्षकों को बच्चों के अधिकारों की जानकारी देना तथा इस संबंध में स्थानीय व राज्य सरकार के दायित्वों के बारे में भी जानकारी देना
- स्कूल के काम-काज की मानिटरिंग करना: स्कूल में नियुक्त अध्यापकों के स्कूल में उपस्थिति में नियमितता एवं समय पालन के सम्बंध में अध्यापकों, माता/पिता व संरक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य व प्रगति की जानकारी हेतु बैठक करना
- स्कूल में दोपहर के भोजन/Midday Meal पर निगरानी रखना



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

- स्कूल के विकास की योजना बनाना व इसे स्वीकृति के लिए आगे भेजना
- स्कूल को सरकार व अन्य स्रोतों से मिलने वाली ग्रांट (अनुदान) की मानिटरिंग करना
- स्कूल का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना
- विशेष आवश्यकता वाले व किसी भी तरह से अक्षम बच्चों की पहचान, उनका स्कूल में पंजीकारण व उनकी शिक्षा ग्रहण करने पर निगरानी रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की जाए
- स्कूल में पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था करना, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना
- समय-समय पर स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करवाना
- सरकार की तरफ से मिलने वाली निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, बच्चों की वर्दी, शिक्षण सामग्री एवं विभिन्न प्रोत्साहन राशियों की उचित समय पर उपलब्धि व बच्चों में वितरण सुनिश्चित करना
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर नज़र रखना व ऐसे बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना
- अगर किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया गया है तो उसके शिक्षा स्तर को क्लास के पाठ्यक्रम के अनुरूप लाने के लिए अगर विशेष पढ़ाई की ज़रूरत है तो स्कूल प्रबंधन समिति ऐसे बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा कराई जाएगी। इस तरह की विशेष पढ़ाई कम से कम तीन महीनों से दो वर्ष तक जा सकती है। यह पढ़ाई स्कूल में ही इस के लिए निर्मित विशेष कमरों में की जाएगी

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

- अगर कोई बालक शारीरिक अक्षमता की वजह से स्कूल जाने में असमर्थ है तो स्कूल प्रबंधन समिति ऐसे बालक के लिए सरकार से परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए सिफारिश करेगी। सरकार की जिम्मेवारी होगी कि इस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए स्कूल आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करे
- स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बीच समय पर बैठकें करवाना व ऐसी बैठकों में बच्चों की प्रगति पर विचार विमर्श करना
- स्कूल में प्रायोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना एवं समाज के सभी लोगों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना
- स्कूल को विभन्न स्रोतों से मिलने वाली राशि के उचित उपयोग के बारे में निर्णय लेना
- इस बात पर निगरानी रखना कि स्कूल में नियुक्त अध्यापकों की दस वर्षीय जनसंख्या की गणना, आपदा राहत कार्यों, चुनावों (स्थानीय निकाय जैसे पंचायत चुनाव, विधान सभा व संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों) के अतिरिक्त किसी अन्य गैर शिक्षण कार्यों में नियुक्ति न हो
- यह देखना कि स्कूल में नियुक्त कोई भी अध्यापक प्राईवेट ट्रूशन या किसी अन्य प्राईवेट शिक्षण कार्यों में लिप्त न हो
- स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के सभी अनुशासन सम्बन्धी मामले विद्यालय स्तर पर निपटाने के लिए अधिकृत हैं। निपटारा न होने पर स्कूल प्रबंधन समिति खंड सलाहकार परिषद को अपनी सिफारिश भेज सकती है



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 6

जो शिक्षा केवल समाज के ऊपरी तबकों तक पहुँचती है
और निचले तबकों को अनछुआ छोड़ देती है, वह
किसी भी समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती



शिकायतें

बच्चों के शिक्षा का अधिकार का
हनून/उलंघन होने पर निम्नलिखित
अधिकारियों को लिखित में या फोन से
सूचित किया जा सकता है:

- स्कूल प्रबंधन समिति
- ग्राम पंचायत
- ब्लाक या जिला शिक्षा अधिकारी
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 7



अभाव, गरीबी, विषमता और स्वामित्वहीनता-सभी निरक्षरता से जुड़े हुए हैं। शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे वंचित तबकों में अभावों को पैदा करने वाली प्रक्रिया से लड़ने के लिए जागरूकता एवं एकजुटता पैदा हो सके तथा हिम्मत और ताकत भी

स्कूल विकास योजना बनाना

स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी अपने गठन के बाद स्कूल के विकास के अगले तीन वर्ष की स्कूल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल विकास योजना तैयार करती है। इस तीन वर्षीय विकास योजना में स्कूल की स्थिति व आवश्यक धनराशि का वर्षवार ब्योरा तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति से पहले वार्षिक आवश्यकता के आधार पर भी एक उपयोजना व उप-बजट हर वर्ष बनाया जाएगा।

स्कूल के विकास की योजना को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 27 बिंदुओं के फॉर्म में भर कर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भेजना पड़ता है।



समिति स्कूल की विकास योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी:

1. बच्चों की कक्षावार अनुमानित पंजीकरण संख्या
2. कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक आवश्यक अध्यापकों की संख्या जिसमें विषयवार अध्यापक व अल्पकालीन अध्यापक शामिल हैं। आनेवाले तीन वर्षों में नये छात्रों की अनुमानित संख्या को देखते हुए आवश्यक अध्यापकों की संख्या
3. स्कूल भवन की वर्तमान स्थिति तथा भवन व दूसरी चीजों की नियमानुसार आवश्यकता
4. ऊपर लिखित 2 व 3 के लिए आवश्यक धनराशि

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

5. बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें व स्कूल ड्रेस तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक धनराशि
6. स्कूल की अन्य आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री, शिक्षण सामग्री इत्यादि को मुहैया करवाने के लिए आवश्यक धनराशि

स्कूल की आवश्यकताएँ जानने की प्रक्रिया

चार समूह अपने-अपने समूहों में स्कूल की आवश्यकता का निर्धारण करेंगे:

1. स्कूल के सभी बच्चे
2. स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक
3. स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी तथा स्कूल के अध्यापक
4. ग्राम पंचायत के सदस्य तथा गांव के शिक्षा शास्त्री या सामाजिक कार्यकर्ता

उपरोक्त समूहों में से बच्चों से स्कूल की बुनियादी आवश्यकताओं की जानकारी व अन्य तीन समूहों से स्कूल की अन्य ज़रूरतों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इन चारों समूहों से मिली जानकारी के आधार पर स्कूल की आवश्यकताओं की एक सूची तैयार की जाती है।



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल के लिए आवश्यक अध्यापकों की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है:

| छात्र संख्या | अध्यापकों की संख्या |
|-------------------|--|
| 60 | 2 |
| 61 से 90 के बीच | 3 |
| 91 से 120 के बीच | 4 |
| 121 से 200 के बीच | 5 |
| 150 से अधिक | 5 अध्यापक व एक मुख्याध्यापक |
| 200 से अधिक | मुख्याध्यापक के अलावा 40 छात्रों पर एक अध्यापक |



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम



शिक्षक का चरित्र इतना आदर्शमय होना चाहिए कि उसे देखकर ही शिक्षार्थी के मन में श्रद्धा के अंकुर उपज जाए

स्थानीय प्राधिकरण तथा राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) के कर्तव्य

1. निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों की पहुँच में स्कूल खोलना। इसका अर्थ है कि कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए स्कूल 1 कि. मी. के अंदर (लेकिन इस दूरी के अंदर एक नया स्कूल स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र में 5 से 6 वर्ष की आयु के कम से कम 30 छात्र होने आवश्यक हैं) व कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्कूल 3 कि. मी. दूरी के अंदर होना चाहिए
2. छात्रों की संख्या के अनुसार स्कूल में अध्यापकों की संख्या सुनिश्चित करना
3. 6 से 8 कक्षा के लिए अर्थात् उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवस्था इस प्रकार निर्धारित की गई है:
 1. हर एक कक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक अध्यापक होना अनिवार्य है:
 - i. विज्ञान व गणित
 - ii. सामाजिक अध्ययन
 - iii. भाषा
 2. प्रत्येक 35 छात्रों के लिए कम से कम एक अध्यापक
 3. जहाँ एक स्कूल में 100 से अधिक छात्र हों वहाँ एक पूर्णकालीन मुख्याध्यापक

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 9

कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीनों जहां मिलते हैं वहाँ
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है



सरकार की योजनाएं

स्कूल प्रबंधन समिति व छात्र/छात्राओं को
हरियाणा सरकार से मिलने वाला धन-

स्कूल व स्कूल भवन के लिए:

| मद | राशि (रुपयों में) | |
|---|-------------------|---------------------|
| | प्राथमिक स्कूल | उच्च प्राथमिक स्कूल |
| स्कूल भवनों का सौदर्यकरण | 5000 | 7000 |
| स्कूल भवनों की मरम्मत | 10000 | 10000 |
| शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning material-TLM)- प्रति अध्यापक | 500 | 500 |
| पुस्ताकालय के लिए छात्रोपयोगी पुस्तकें | 10000 | 10000 |



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

छात्रवृत्तियां तथा अन्य लाभ

कक्षा 1 से 5

| छात्रवृत्तियां तथा अन्य लाभ | अनुसूचित जाति | बीसी-ए | बीपीएल | अन्य | राशि/लाभ |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|------|--|
| वर्द्ध | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | रु. 400/- प्रति विद्यार्थी |
| स्कूल बैग | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | रु. 120/- प्रति विद्यार्थी |
| लेखन-सामग्री | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | रु. 100/- प्रति विद्यार्थी |
| छात्रवृत्ति | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | रु. 110/- प्रति विद्यार्थी |
| पाठ्य पुस्तकें | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | पुस्तकों का सैट रु.25 से रु. 167.50 तक |
| अन्य लाभ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | रु. 750+100/- प्रतिमाह लड़के व रु. 750/- + रु. 150/- प्रतिमाह लड़कियाँ |

इसके अतिरिक्त एक और छात्रवृत्ति उन बच्चों को रु. 750/- प्रति वर्ष दी जाएगी जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में हैं।



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

कक्षाएं 6 से 8 (राशि रु. में)

| मद | अनुसूचित जाति | | बीसी-ए | | बीसी-बी | | बीपीएल | | सामान्य |
|---------------------------------------|---------------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
| | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की | लड़का | लड़की | |
| एक मुश्त राशि (स्टेशनरी व बैग के लिए) | 1250 | 1250 | X | X | X | X | X | X | X |
| मासिक राशि | 150 | 200 | 100 | 200 | X | X | 100 | 200 | X |
| मुफ्त वर्द्दी | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| स्कूल बैग | X | X | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| मुफ्त स्टेशनरी | X | X | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| पुस्तकें | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

कक्षाएं 1 से 5 (प्रति छात्र, प्रति वर्ष)

1. अध्यापक अभिभावक संघ रु. 02/-
 2. खेल निधि रु. 05/-
 3. भवन निधि रु. 05/-
 4. बाल कल्याण निधि रु. 24/-
- कुल योग: रु. 36/-

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

कक्षाएं 6 से 8 (प्रति छात्र, प्रति वर्ष)

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. अध्यापक अभिभावक संघ | रु. 02/- |
| 2. खेल निधि | रु. 10/- |
| 3. भवन निधि | रु. 10/- |
| 4. बाल कल्याण निधि | रु. 24/- |
| 5. स्वास्थ्य निधि | रु. 06/- |
| 6. विज्ञान निधि | रु. 06/- |
| 7. मिश्रित निधि | रु. 12/- |
| 8. परीक्षा निधि | रु. 09/- |
| 9. दाखिला निधि | रु. 03/- |
| 10. आःडियोविजुअल निधि | रु. 2.40/- |
| 11. संगीत निधि | रु. 04.80/- |
| 12. गृहविज्ञान निधि | रु. 04.80/- |
| कुल योग | रु. 94/- |

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं

दोपहर का भोजन (Mid Day Meal)

यह स्कीम मानव संसाधन मंत्रालय के तहत प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत एस.एच.जी. समूह की महिलाओं को दोपहर का भोजन पकाने व परोसने की ज़िम्मेवारी दी जाती है। 100 बच्चों की संख्या पर दो महिलाओं व 200 बच्चों पर तीन महिलाओं को यह ज़िम्मेवारी दी जाती है। प्रत्येक महिला को 1150 रुपये मानदेय मिलता है। इस स्कीम के तहत स्कूल में उपस्थित बच्चों को इतना पोषाहार दिया जाता है जिससे बच्चे को 400 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन मिल सके तथा स्कूल में बच्चों को साफ पीने का पानी मिल सके। दोपहर का भोजन एक वर्ष में कम से कम 200 दिन दिया जाना चाहिए तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में गर्भी की छुट्टियों के दौरान भी दोपहर का भोजन मिलना चाहिए।

स्कीम का उद्देश्य

- प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल में पंजीकरण को बढ़ाने के लिए, तथा स्कूल में उपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाना
- प्राथमिक स्कूल में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

स्कूल की वर्दी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित वर्दी में कक्षा 1 से 8 के लिए निम्नलिखित वस्तुएं निर्धारित की गई हैं:

| बालक | बालिका |
|---|---|
| कमीज, पैंट, जुराब, बैल्ट, जूते या टॉप तसमों सहित, नेक टाई, पूरी बाजूवाली ऊन की जर्सी (सर्दियों के लिए) | सलवार, कमीज, दुपट्ठा, स्कर्ट, बैल्ट, जूते तसमों सहित नेक टाई, पूरी बाजूवाली ऊन की जर्सी (सर्दियों के लिए) |

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने ओरिएंटल बीमा कम्पनी के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लिए बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत सरकार स्कूल में जाने वाले हर बच्चे से वार्षिक रूपये 0.90 की किस्त ली जाएगी और इस योजना के तहत निम्नलिखित सुरक्षा दी जाती है:

| क्रम सं. | विपदा विवरण | बीमाकृत राशि |
|----------|--|--------------|
| 1. | मृत्यु होने पर | 30000 रुपये |
| 2. | पूर्णतः अपाहिज होने पर (दोनों कान/पैर/हाथ) | 60000 रुपये |
| 3. | आंशिक अपाहिज हाने पर (एक हाथ/पैर/कान) | 30000 रुपये |
| 4. | दवा खर्च (दुर्घटना होने पर) | 2500 रुपये |

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम

खंड 10

शिक्षा का उद्देश्य एकाकी और स्वार्थी बनाना नहीं, सामाजिक बनाना है। प्रतिभा व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, समाज सापेक्ष होती है



शिक्षा-सेतु

शिक्षा-सेतु हर एक माँ बाप या बच्चे के अभिभावक के लिए बहुत जरूरी पत्र है। यह स्कूल की तरफ से हर एक बच्चे को दिया जाता है। इसमें बच्चे की पढ़ाई के बारे में नीचे लिखी जानकारियां होती हैं:

1. बच्चा इस वर्ष हर विषय में क्या-क्या पढ़ना सीखेगा
2. बच्चे ने अब तक क्या-क्या सीखा है
3. बच्चे को दी जाने वाली स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति
4. बच्चे को मुफ्त में मिलने वाली सामग्री (हकदारियां) जैसे स्कूल की वर्दी, किताबें इत्यादि
5. बच्चे की पढ़ाई का स्तर क्या है
6. छुट्टियों के बारे में जानकारी
7. परीक्षा के बारे में जानकारी
8. बच्चे के साथ कोई समस्या होने पर किससे सम्पर्क करें



इसलिए हर माँ-बाप
को बच्चे का शिक्षा-सेतु
जरूर-जरूर देखना-पढ़ना
चाहिए

आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम



सुन्दर होठों पर हँसी लिए, मस्ती के मधुर बुलावों में,
है अपना हिंदुस्तान कहाँ? बसा हरियाणा के गाँवों में

कुछ महत्वपूर्ण वेबसाईट व टेलीफोन नंबर-

www.schooleducationharyana.gov.in
www.harprathmic.gov.in
www.hsspp.in

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग www.ncpcr.gov.in

टेलीफोन नंबर -

| | | |
|--------------------|---|--|
| मौलिक शिक्षा विभाग | : | 1072—2560188 |
| स्कूल शिक्षा विभाग | : | 0172—2560246 |
| सर्व शिक्षा अभियान | : | 0172—2590509 |
| टोल फ्री | : | 1800—3010—0110 |
| ई—मेल | : | eduprimary@hry.nic.in |



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम


हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद अब फेसबुक पर

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा सरकार की एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सोसाइटी है जो हरियाणा राज्य में “सर्व शिक्षा अभियान” (SSA) व “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” (RMSA) को लागू करने के लिए ज़िम्मेवार है।


हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा फेसबुक पर एक पेज प्रारंभ किया गया है। इस पेज पर facebook.com/HSSPP पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है।

इस पेज पर हरियाणा स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी विभागीय आदेश, टेंडर, निविदा, शुद्धिपत्र, तथा रिक्त पदों को भरने के विज्ञापन देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पेज पर विभाग की राज्य भर में चल रही गतिविधियों की फोटोसहित जानकारी भी दी जाती है। इस पेज को देखकर कोई भी व्यक्ति विभाग की गतिविधियों पर अपनी टिप्पणी व सुझाव भेज सकता है।

एक स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति इस वेबसाईट पर अपना पेज भी बना सकती है जिसपर स्कूल में चलने वाले क्रियाकलापों की जानकारी दी जा सकती है। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों व आम नागरिक को इस पेज का समय-समय पर अध्ययन करना चाहिए तथा उनके स्कूल में चल रही गतिविधियों को भी इस पेज पर अॅप्लोड करना चाहिए।



आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम



Trees for Life[®]
INTERNATIONAL

यह मार्गदर्शिका TREES FOR LIFE के
वित्तिय सहयोग से प्रकाशित की गई है।



Trees for Life International
3006 W. St. Louis
Wichita, KS 67203-5129 USA
Tel.: 316-945-6929
Fax: 316-945-0909
<http://www.treesforlife.org/>

इन्स्टीट्यूट ऑफ सरल रिसर्च एण्ड इवलापमेन्ट
(एस.एम.सहगल फाउंडेशन)
प्लॉट नं. 34, सेक्टर-44, इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया,
गुडगांव-122003, हरियाणा
फोन नं: 0124-4744100,
ई-मेल: smsf@irrad.org
वेबसाइट: www.irrad.org